भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3792

मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

तमिलनाडु में औद्योगिक पार्क

3792. श्री अ. मनिः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रोज़गार सृजित करने और युवाओं के अन्य राज्यों में पलायन को कम करने के लिए तमिलनाडु के धर्मापुरी ज़िले को बड़े पैमाने के श्रम-गहन उद्योगों की स्थापना हेतु चिह्नित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान धर्मापुरी में औद्योगिक पार्क, विनिर्माण क्लस्टर या एमएसएमई-आधारित औद्योगिक संपदा स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त ज़िले में वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली और कृषि-आधारित उद्योगों जैसे क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या प्रोत्साहन प्रस्तावित हैं;

(घ) उक्त औद्योगिक परियोजनाओं के माध्यम से विशेषकर स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए लगभग कितना रोज़गार सृजित होने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा धर्मापुरी ज़िले में संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा बेरोजगारी एवं संकटग्रस्त पलायन को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): उद्योग मुख्य रूप से राज्य का विषय है। राज्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय अपनाते हैं। भारत सरकार अनेक नीतियों और स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक सहायता प्रदान करती है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम, स्टार्टअप इंडिया, फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम तथा भौगोलिक संकेत को बढ़ावा देने के लिए पहल जैसी स्कीमों के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास में सहयोग करता है और ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस के उपाय करता है।

भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) स्कीम को दिनांक 10.04.2026 को निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए अधिसूचित किया

गया है, ताकि निवेशकों को आसानी से निवेश क्रियान्वित करने में सक्षम बनाया जा सके, जिससे देश में विनिर्माण क्षमता में वृद्धि हो सके। इस स्कीम के अंतर्गत 100 औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। पहले चरण में, एक या अधिक दौर के चयन द्वारा चुनी गई 50 परियोजनाओं को शुरू किया जाना है, तमिलनाडु सरकार ने पहले दौर में सात परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से एक परियोजना धर्मपुरी जिले में है।

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के अंतर्गत औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम के भाग के रूप में तमिलनाडु राज्य में विकास के लिए दो परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है, नामत: चेन्नई-बेंगलुरू औद्योगिक कॉरिडोर विस्तार (सीबीआईसी-विस्तार) के अंतर्गत धर्मपुरी-सेलम नोड और चेन्नई-बेंगलुरू औद्योगिक कॉरिडोर (सीबीआईसी) के अंतर्गत पोन्नेरी नोड। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि प्रस्तावित स्थलों को राज्य द्वारा विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, एनआईसीडीपी के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा किसी भी वैकल्पिक भूमि पार्सल की पहचान नहीं की गई है या ऐसी सूचना प्रदान नहीं की गई है।

तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, बडे पैमाने पर निवेश आकर्षित करने, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने और अन्य राज्यों में प्रवास को कम करने के उद्देश्य से 1733.40 एकड़ क्षेत्र में सिपकॉट औद्योगिक पार्क, धर्मपुरी की स्थापना के माध्यम से औद्योगिक विकास के लिए धर्मपुरी जिले को चिह्नित किया गया है। परिचालन चरण के दौरान पार्क में लगभग 18,300 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता है, जिसमें 16,470 प्रत्यक्ष रोजगार और 1,830 अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल हैं। अब तक, सिपकोट औद्योगिक पार्क, धर्मपुरी में 11 उद्योगों को कुल 48.96 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसमें 575 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने की क्षमता है।

तमिलनाडु सरकार ने जिले में सिपकॉट अधगपाडी औद्योगिक पार्क, चरण-II के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी है।

इसके अलावा, राज्य ने औद्योगिक प्रोत्साहनों के उद्देश्य से धर्मपुरी जिले को 'सी' श्रेणी के जिले के रूप में वर्गीकृत किया है। वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली, कृषि-आधारित उद्योगों और अन्य पात्र विनिर्माण कार्यकलापों जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए, सिपकॉट औद्योगिक पार्कों में भूमि आवंटित किए गए पात्र उद्योगों के लिए भूखंड लागत के 50 प्रतिशत हेतु फ्रंट-एंडेड भूमि लागत प्रोत्साहन उपलब्ध है।
